(50)

निगरानी 753-एक/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ७५३/एक/१५ विरूध्द आदेश दिनांक १/४/२०१५ पारित व्दारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक १०२/अ-१९(४)/स्व0निग/०५-०६

मोतीलाल तनय डरूआ काछी
निवासी ग्राम शिवराजपुर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0 प्र0 - आवेदक

-. विरूध्द -

शासन म0 प्र0 - अनावेदक

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव ,अभिभाषक, आवेदक
श्री राकेश त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

आ दे श
(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र ७५३/एक/१५ रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत अपर कलेक्टर के प्र क्र १०२/अ-१९(४)/स्व0निग/०५-०६. में पारित आदेश दि ४-12-१२ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है. निगराकार मोतीलाल द्वारा दि १५-४-०२ को तहसीलदार, राजनगर को दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८४ के अंतर्गत दिए गए आवेदन के आधार पर, तहसीलदार ने प्र क्र ०४/अ-१९(४)/०१-०२ पंजीबद्ध करके ग्राम शिवराजपुर की भूमि स नं २२१/१/३ तथा २२२/१/२ में निगअराकार के हित में व्यवस्थापन आदेश दि ६-७-०२ पारित किया. अपर कलेक्टर, छतरपुर के आक्षेपित आदेश में उनके द्वारा स्पष्ट किये अनुसार, उन्हें तहसील के इस प्रकरण का दि २७-२-१५ को परिक्षण करने पर उसमें अनियमितताओं की जानकारी मिली, जिसके आधार पर उन्होंने अपने न्यायालयीन प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आक्षेपित आदेश दि १-४-१५ पारित किया, जिसके विरुद्ध रा मं में यह निगरानी दायर हुई.

३ मेरे समक्ष निगराकार के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्कों में प्रकरण के संक्षेप को दोहराते हुए कहा कि उन्हें तहसीलदार द्वारा विधिवत वाद भूमि व्यस्थापन में दी गई थी, फिर भी अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश

उपरान्त १३ वर्ष की लम्बी अवधि के बाद प्रकरण को स्व-प्रेरणा निगरानी में लिया गया, जबकि ना तो कलेक्टर या अपर कलेक्टर को निगरानी सुनने का अधिकार है, और न ही १८० दिवस से ज्यादा देरी के बाद स्व-प्रेरणा निगरानी में किसी प्रकरण को लिया जा सकता है. गैरनिगराकार शासन की ओर से कोई तर्क प्रस्तुत नहीं हुए.

४ मैंने तर्कों के प्रकाश में प्रकरण में उपलब्ध रा मं तथा अधीनस्थ न्यायालयों की नस्तियों का परिशीलन किया. विद्वान् अपर कलेक्टर, छतरपुर ने उनके आक्षेपित आदेश में विस्तार से तहसील न्यायालय के प्रकरण से सम्बंधित उन सभी परिस्थितियों एवं कारणों का लेख किया है जिनके आधार पर उन्होंने अपना निर्णय लिया है. अपर कलेक्टर के आदेश में लिखे इन परिस्थितियों, कारणों एवं आधारों का पुनरुद्धरण मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजनगर की सम्बंधित नस्ती के परीक्षण से मैं इन को पुष्ट पाता हूँ. अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें तहसील न्यायालय के प्रकरण की उक्त अनियमितताओं के बारे में जब दि २७-२-१५ को

पता चला, तो उसी दिनांक को उन्होंने निगराकार को कारण बताओ सूचनापत्र जारी कर अपने न्यायालयीन प्रकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी. अतः, उन्होंने अपनी कार्यवाही बगैर किसी विलम्ब के की है.

५ प्रकरण में पूर्ण विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि

(१) अपर कलेक्टर ने आक्षेपित आदेश में उनका निर्णय स्पष्ट और ठोस आधारों पर अपने दायित्वों के निर्वहन में सही सही लिया है. उन्होंने अपना निर्णय लेने के पूर्व निगराकार को कारण बताओ सूचनापत्र जारी करके उसका उत्तर प्राप्त करके उसकी पूरी विवेचना की, और बारीकी से तहसील न्यायालय के अभिलेख की जांच भी की, कोई सरसरी तौर पर आदेश पारित नहीं किया.

(२) अपर कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें तहसील के सम्बंधित प्रकरण में अनियमितताओं की जानकारी २७-२-१५ को मिली, जिस दिनांक को उन्होंने निगराकार को कारण बताओ सूचनापत्र जारी कर दिया. अतः,

निगराकार का यह कहना कि अपर कलेक्टर ने १८० दिवस से अधिक विलम्ब से कार्यवाही प्रारम्भ की, मान्य किये जाने योग्य नहीं है. [गलत प्रविष्टियों के बारे में सूचना अभिप्राप्त होने के तुरंत पश्चात् पुनरीक्षण की स्व-प्रेरणा से शक्ति प्रयुक्त की गयी. इसे विलंबित नहीं कहा जा सकता. छोटी बाई (श्रीमती) वि मप्र राज्य, २००९ रानि ३५७ (उच्च न्या.)].

(३) निगराकार अधिवक्ता का यह तर्क की अपर कलेक्टर को स्व-प्रेरणा पुनरीक्षण की अधिकारिता नहीं है भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि स्पष्तः संहिता की धारा ५० के अनुसार अपने अहीनास्थ राजस्व अधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता के प्रयोग में अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता की गयी होने या उनका आदेश अवैध होने की स्थिति में उन्हें इस सम्बन्ध में अधिकार हैं. [२००६ रानि ८८, १९८७ रानि ३०४, १९७६ रानि ४९३ (उच्च न्या), १९७६ रानि २१, १९६८ रानि २२३, १९६६ रानि २७७ आदि].

६ उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के प्रकाश में एवं आधार पर मैं अपर कलेक्टर के आक्षेपित आदेश दि १-४-१५ में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता हूँ, तथा उसे यथावत रखते हुए यह निगरानी खारिज करता हूँ.

आदेश पारित. पक्षकार सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो.

2.3.16

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश
ग्वालियर